



ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बोसोआई) को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अग्रवाल को पीठ ने यह टिप्पणी करे हुए इन्फ्रा प्रोटेक्ट्स से जुड़े दिवावियायपन मामले को सुनवाई के दौरान की। मामले में राष्ठीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ठीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण